संख्या–2254 / 60–2–13–2 / 1(5) / 13

प्रेषक,

**मिश्रीलाल पासवान,**
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

**निदेशक,**
बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

**महिला एवं बाल विकास अनुभाग–2** **लखनऊः दिनांक 13 अगस्त, 2013**

**विषयः– समन्वित बाल विकास परियोजना प्रकोष्ठ के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–6559 / 26–2–83–560(38) / 79 दिनांक 28 नवम्बर, 1983 (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा सचिवालय स्तर पर गठित समन्वित बाल विकास परियोजना प्रकोष्ठ में सृजित सांख्यकीय सहायक का एक अस्थायी पद सृजित किया गया था। सांख्यकीय सहायक का पद वर्तमान में अपर सांख्यकीय अधिकारी के पदनाम से जाना जाता है। प्रकोष्ठ के कार्य के सफल संचालन हेतु अपर सांख्यकीय अधिकारी के एक पद को समर्पित करते हुये कम्प्यूटर सहायक से सम्बन्धित कार्य किसी वाह्य सेवा प्रदाता एजेन्सी से अनुबन्ध करके कराये जाने की सहमति प्रदान की जाती है।

2. यह आदेश वित्त विभाग के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या–ई–3–1573 / दस–2013, दिनांक 06 अगस्त, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय

**(मिश्रीलाल पासवान)**
विशेष सचिव।

**संख्या–2254(1) / 60–2–13, तद्दिनांक।**

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, लेखा, प्रथम / आडिट, प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–1 / 2 / 5।
4. समन्वित बाल विकास परियोजना प्रकोष्ठ।

आज्ञा से,

**(ए0पी0 सिंह)**
अनु सचिव।

C:\Documents and Settings\hp\Desktop\SECTION-2-31- 2013\Laxman\GO- 2013.doc